

श्रीमान्जी
प्राथना फ व रिपोर्टिंग अवलोकन तथा मॉके अनुसार के गाम उदास
गोचर खण्ड नं 85 तादाते 0.0369, खन 86 तादाती 2.3899 अंश गोचर व सल्ले के
खन नं 60 की तरमीम मूल शब्दावली व मॉके अनुसार सलेन प्रस्तावित नम्बरे
के अनुसार कुछ बिमा जाग उचित है।

[Signature]
13/01/2026
पटवारी
म.अ.नि.

रिपोर्ट तहसीलदार/नायब तहसीलदार

श्रीमान्जी प्राथना फ अंश खण्ड पटवारी व जांच रिपोर्ट हल्कापटवारी
के अनुसार online नम्बरा मे तरमीम जुरस्त की जानी उचित है।

[Signature]
तहसीलदार(म.अ.)
सुजानगढ़(चूरु)

प्रकरण सं. 05/2026

आदेश


निर्णय दि. 15/1/26

तहसीलदार सुजानगढ़ की आग्रिशंषा व संलग्न
दस्तावेजों के आधार पर रोही गाम उदास तह-
सुजानगढ़ के ख.नं. 85, ख.नं. 86, ख.नं. 82 व
ख.नं. 60 की तरमीम मुताबिक नम्शा लडठा
मूल शीट क्रिया जार्ने का आदेश दिया जाता है।
निर्णय/आदेश की प्रति तहसीलदार सुजानगढ़ को
पालनायक प्रेषित हो।

[Signature]
उप खण्ड अधिकारी
सुजानगढ़



उप खण्ड अधिकारी
सुजानगढ़



Scale 1:4000

खसरा संख्या : 82 क्षेत्रफल : 2.0232 Hectare खाता संख्या : 96 पुराना खाता संख्या : 91

भूमि किस्म [क्षेत्रफल लगान] : बा.सोयम [2.0232, 2.39]

- 1.) अनोपकंवर पत्नि गुमानसिंह हिस्सा- 1/8 जाति- राजपुत निवासी पाण्डोराई खातेदार
- 10.) सुप्यारकंवर पुत्री मेघसिंह हिस्सा- 1/12 जाति- राजपुत निवासी पाण्डोराई खातेदार
- 11.) सिरूकंवर पुत्री मेघसिंह हिस्सा- 1/12 जाति- राजपुत निवासी पाण्डोराई खातेदार
- 2.) कमूकंवर पुत्री मेघसिंह हिस्सा- 1/12 जाति- राजपुत निवासी पाण्डोराई खातेदार
- 3.) जीवणसिंह पुत्र मुकनसिंह हिस्सा- 1/4 जाति- राजपुत निवासी पाण्डोराई खातेदार
- 4.) नन्दलालसिंह पुत्र मेघसिंह हिस्सा- 1/12 जाति- राजपुत निवासी पाण्डोराई खातेदार
- 5.) प्रतापसिंह पुत्र गुमानसिंह हिस्सा- 1/24 जाति- राजपुत निवासी पाण्डोराई खातेदार
- 6.) बजरगसिंह पुत्र मेघसिंह हिस्सा- 1/12 जाति- राजपुत निवासी पाण्डोराई खातेदार
- 7.) रसालकंवर पत्नि मेघसिंह हिस्सा- 1/12 जाति- राजपुत निवासी पाण्डोराई खातेदार
- 8.) श्रवणसिंह पुत्र गुमानसिंह हिस्सा- 1/24 जाति- राजपुत निवासी पाण्डोराई खातेदार
- 9.) सुनिताकंवर पुत्री गुमानसिंह हिस्सा- 1/24 जाति- राजपुत निवासी पाण्डोराई खातेदार

[Handwritten Signature]
12/01/2026
[Handwritten Name]
[Handwritten Title]

सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एवं सील

- नोट :-
१. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।
 २. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।
 ३. प्रविष्टियों में संशोधन/सत्यापित प्रतिलिपि हेतु सम्बंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें।